

**बिहार सरकार**  
**ग्रामीण कार्य विभाग**

**संकल्प**

मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना (MGSY) अंतर्गत ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल नवगच्छिया के अधीन पैकेज र्स0 MGSY/24-25 नवगच्छिया/01 (टेंडर आई0डी0 140537) के निविदा निष्पादन में अनियमितता बरते जाने के संबंध में प्राप्त शिकायत के आलोक में निविदा के तकनीकी बीड़ से संबंधित संचिका तथा निविदाकारों द्वारा ऑनलाइन अपलोड किये गये बीड़ से संबंधित कागजातों की जाँच की गई।

इस बीड़ में कुल चार निविदाकारों (1) श्री चन्द्रशेखर कुमार रमण (बीड़ आई0डी0 615606) (2) सुश्री जूली कुमारी (बीड़ आई0डी0 614459) (3) सहिष्णु कन्द्रकशन प्राईवेट लिंग (बीड़ आई0डी0 615011) एवं (4) श्री गौतम कुमार यादव (बीड़ आई0डी0 614458) द्वारा भाग लिया गया था। तकनीकी घोषित करते हुए पुनः निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया एवं इस संबंध में किसी को आपत्ति नहीं, तो पॉच कार्यदिवस में अभ्यावेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया। दो निविदाकार सुश्री जूली कुमारी एवं श्री गौतम कुमार यादव द्वारा पुनःसमीक्षा हेतु अभ्यावेदन समर्पित किया गया जिसके आलोक में दिनांक 05.06.2025 को तकनीकी बीड़ समिति की पुनःसमीक्षा बैठक में उन दोनों को योग्य घोषित किया गया तथा शेष दो निविदाकार के संबंध में पूर्व के अयोग्य ठहराने के निर्णय को यथावत रखा गया।

निविदा से संबंधित कागजातों की जाँच में निविदा निष्पादन में निम्नलिखित गंभीर अनियमिताएँ परिलक्षित हुई—

1. सहिष्णु कन्द्रकशन प्राईवेट लिमिटेड को दिनांक 26.05.2025 को पहली तकनीकी बीड़ मूल्यांकन समिति की बैठक में क्षेत्रीय अभियंताओं द्वारा उपलब्ध कराये गये चेक लिस्ट के आधार पर इनके द्वारा bid already submitted संबंधित सूचना गलत दिये जाने के आधार पर अयोग्य घोषित किया गया जबकि इस संबंध में न तो क्षेत्रीय अभियंता की चेक लिस्ट में, न ही संचिका में और न ही तकनीकी मूल्यांकन समिति के बैठक की कार्यवाही में यह अंकित है कि उन्होंने क्या गलत सूचना दी है, जिसके आधार पर उन्हें अयोग्य ठहराया गया है।
2. सुश्री जूली कुमारी को दिनांक 26.05.2025 के तकनीकी बीड़ मूल्यांकन समिति की बैठक में समरूप कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं रहने के आधार पर अयोग्य घोषित किया गया जबकि उनके द्वारा बीड़ में कागजात दिये गये थे एवं चेक लिस्ट में भी इसे अंकित किया गया था। बाद में उसी कागजात के आधार पर उन्हें पुनः योग्य ठहराया गया।
3. श्री गौतम कुमार यादव को दिनांक 26.05.2025 के तकनीकी बीड़ मूल्यांकन समिति की बैठक में समरूप कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं रहने के आधार पर अयोग्य घोषित किया गया जबकि चेक लिस्ट में उनके द्वारा समरूप कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करने का उल्लेख है। श्री यादव को पुनःसमीक्षा बैठक में योग्य ठहराया गया परन्तु जिस कागजात के आधार पर उन्हें योग्य ठहराया गया वह बीड़ में दाखिल किये गये मूल कागजात से भिन्न है क्योंकि बीड़ में दाखिल किये गए मूल कागजात में कहीं भी पुलिया के कार्य की राशि की अलग से विवरणी सत्यापित नहीं है। अतः इस मामले में चेक लिस्ट में भी कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल नवगच्छिया द्वारा पुलिया कार्य की अंकित की गयी राशि का आधार भी गलत है।

एवं निविदा समिति द्वारा पुनःसमीक्षा बैठक में बीड में दाखिल किये गये कागजात से भिन्न कागजात के आधार पर योग्य ठहराना भी गलत है।

4. श्री चन्द्रशेखर कुमार रमण द्वारा समरूप कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करने के बावजूद चेक लिस्ट में इसे नहीं अंकित करना एवं इसी आधार पर तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा इन्हें अयोग्य ठहराया जाना भी गलत है।

इस प्रकार 02 निविदादाताओं को बिना वैध आधार के निविदा में अंतिम रूप से अयोग्य करार दिया गया। तीसरे निविदादाता श्री गौतम कुमार यादव को जिस आधार पर पुनःसमीक्षा में योग्य माना गया वह वैधानिक नहीं था क्योंकि वह कागजात मूल बीड दस्तावेज में संलग्न कागजात से भिन्न है। बीड के मूल्यांकन को vitiate किया गया है एवं अप्रत्यक्ष रूप से कुछ निविदादाताओं को गलत आधार पर अयोग्य करार देते हुए यह भी संभव है कि उन्हें अभ्यावेदन देने से रोका गया। इस प्रकार गंभीर अनियमितता से विभाग की छवि धूमिल होती है। इस मामले में विभाग के परिपत्र एवं ग्रामीण कार्य प्रमंडल नवगच्छिया के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई का निर्णय लिया गया ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल नवगच्छिया के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई का निर्णय लिया गया है।

अतः निविदा के निष्पादन में बरती गई गंभीर अनियमितता एवं विभाग की छवि को आघात पहुँचाने संबंधी आरोपों के लिए श्री शिवेन्द्र कुमार रजक, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल नवगच्छिया को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथासंशोधित) के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिये निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री रजक का मुख्यालय, अभियंता प्रमुख ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का कार्यालय निर्धारित किया जाता है।

निलंबन अवधि में श्री रजक को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 10(1) के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। विभागीय कार्यवाही के लिए आरोप पत्र एवं संकल्प अलग से निर्गत किया जायेगा।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

1/प्र०४/८१

(अभ्य झा)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :- 2 / अ०प्र०-१-१२९/२५ 10057

/पटना, दिनांक:- 18/9/25

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ (आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) प्रेषित।

1/प्र०४/८१

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :— 2/अ०प्र०-1-129/25 10057 /पटना, दिनांक:- 18.9.25  
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना/कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
18/9/25

ज्ञापांक:- 2/अ०प्र०-1-129/25 10057 /पटना/दिनांक:- 18.9.25  
प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, प० चम्पारण/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव (प्रभारी लेखा शाखा), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-6/प्रशाखा पदाधिकारी-12, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ श्री शिवेन्द्र कुमार रजक, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल नवगछिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
18/9/25

ज्ञापांक :- 2/अ०प्र०-1-129/25 10057 /पटना/दिनांक:- 18.9.25  
प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

  
18/9/25

ज्ञापांक :- 2/अ०प्र०-1-129/25 10057 /पटना/दिनांक:- 18.9.25  
प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
18/9/25